उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या- 1795/9-9-2011-163ज/10
लखनऊ : दिनांकः 29 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2011) की धारा 6 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, श्री कपिल देव, निवासी-2/106 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को **उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड** के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पद पर श्री कपिल देव अपने पद ग्रहण के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, रहेंगे। श्री कपिल देव अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद को धारित नहीं करेंगे। वेतन और भत्तों सहित उनकी सेवा की निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि शासन द्वारा विहित की जायें।

डा0 पी0वी0 जगनमोहन
सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महामहिम श्री राज्यपाल के प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. श्री कपिल देव, निवासी-2/106 विजय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
29.7.11
(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में दिनांक 29.07.2011 की तिथि में प्रकाशित कराकर उसकी 100 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव